राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 11/2007

महेश बाबू शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर मण्डल जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक), शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक), शिक्षा विभाग, जयपुर शहर दक्षिण जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.11.2023
आदेश की दिनांक : 16.04.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रमेन्द्र बोहरा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवन्त मेहता, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 22.12.2006 (अनुलग्नक–10) एवं वेतन स्थिरीकरण आदेश अनुलग्नक 11 को अवैध घोषित कर अपास्त करने का अनुतोष चाहा है। साथ ही अपीलार्थी को दिनांक 28.10.1996 से वेतन–श्रृंखला 6500–10000 को स्वीकृत की जाने से सही घोषित करने एवं अपील लम्बित रहने के दौरान कोई वसूली की जाने की दशा में उसे गय 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के प्रतिदेय की जावें।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्त का कथन है कि अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 31.08.1979 द्वारा राजकीय उच्च प्रारम्भिक विद्यालय, मुंडियागढ़ साम्मर में हुई थी। अपीलार्थी की नियमित राजकीय सेवा के दौरान समय–समय पर वार्षिक वेतन वृद्धियां एवं चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाता रहा है। अपीलार्थी के प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहते समय राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 1998 के तहत वेतन श्रृंखला 2000–60–2300–75–3200 को पुनरीक्षित करते हुए रुपए 6500–200–10500 पर दिनांक 02.10.1997 (अनुलग्नक–11) से ग्राह्य करते हुए रुपए 6500/– पर नियत किया गया एवं आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 02.10.1998 विनिश्चित की गई। राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 1998 में अधिसूचना दिनांक 07.08.1998 द्वारा संशोधन के रूप में अनुसूची 8 में मौजूदा सामान्य नोट 8 को 8 (1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है जोकि निम्नानुसार है और उसके अन्तर्गत नए खण्ड (ii) एवं (iii) सम्मिलित किए गए हैः–

> *"(ii) The Teacher (erstwhile Teacher Grade-III) drawing pay in the second selection grade of 6500-10000 and promoted as Senior Teacher prior to 1-07-1998 shall draw pay in the scale of 6500-10000 as senior scale of Senior Teacher. Those Senior Teachers who have not completed nine years services as Senior Teacher on 01-07-1998, there pay on 01-07-1998 shall be fixed in the pay scale of 5500-9000 and such Senior Teacher shall be allowed pay in the senior scale of 6500-10000 on completion of ten years' service as Senior Teacher.*
>
> *(iii) As a result of re-fixation of pay in accordance with the provisions contained in clause (ii) above the recovery of over payment, if any, shall stand waived for the period of 01-07-1998 to the date of issue of this notification dated 08-06-2001."*

उपरोक्त संशोधित अधिसूचना को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विनिश्चय दिनांक 04.04.2004 में अवैध घोषित कर दिया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.12.2006 के द्वारा अपीलार्थी को स्वीकृत वेतनमान 6500–10500 से 5500–175–9000 जो दिनांक 01.07.1998 से स्वीकृत कर उसका वेतन नियतन रुपए 6375/– पर दिनांक 02.10.1998 से नियत किया गया। अतः दिनांक 09.06.2001 से अधिक किए गए भुगतान की वसूली के आदेश जारी किए गए (अनुलग्नक–10)। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि आलोच्य आदेश दिनांक 22.12.2006 (अनुलग्नक–10) एवं वेतन स्थिरीकरण आदेश अनुलग्नक–11 को अपास्त किया जाकर उसे स्वीकृत की गयी वेतन–श्रृंखला को नियमानुसार स्वीकृत होना किया जावें।

3. प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी की तरफ से यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी की तरफ से प्रस्तुत अनुरोध एवं न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दें। यहां यह स्पष्ट किया जाता

है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय लिखित प्रार्थना पत्रों के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य